

## अनुसूची-५

### “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागि आवश्यक योग्यता

१. आर्थिक क्षमता: प्राइभेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा साभेदारी फर्मको रूपमा घटीमा पाँच लाख रुपैयाँको चालू पूँजी देखाई उद्योग विभागमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ।
२. मुख्य जनशक्ति विवरण : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना प्राविधिक, कुनै पनि विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना प्रशासनिक र वाणिज्य शास्त्र/अर्थशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना जनशक्तिको सेवा पूरा समय प्राप्त हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

### ३. मेशीन र उपकरण:

- (क) ट्रिपर/टयाक्टर (एक/एक थान)
- (ख) मिक्सर (एक थान)
- (ग) Theodolite/Level Machine (एक सेट)
- (घ) वाटर पम्प (तीन थान)
- (ङ) भाइब्रेटर (तीन थान)

### द्रष्टव्य:

१. उपकरणको नामावली पेश गर्दा उपकरणको भ्याट बिल, स्वामित्वको प्रमाणपत्रका साथै बीमा गरेको कागजातहरू पेश गर्नु पर्नेछ।
२. माथि उल्लिखित यान्त्रिक उपकरणहरू ठीक अवस्थामा भएको कुरा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएशनको सदस्यता प्राप्त मेकानिकल इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ।
३. माथि उल्लिखित यन्त्र उपकरणहरू दर्ता भएको मितिले घटीमा दुई वर्षसम्म बेचबिखन गर्नपाइने छैन।
४. पन्ध्र वर्ष भन्दा बढी पुरानो यन्त्र उपकरणहरू निर्माण व्यवसायीको स्तर वृद्धि तथा नयाँ दर्ता हुने प्रयोजनको लागि मान्य हुने छैन।



कमलबजार नगरपालिका, अछाम

: yfgLo / fhkq

खण्ड २) संख्या : ४

प्रकाशित मिति : २०७६/०४/०८

## भाग २

कमलबजार नगरपालिका, अछाम

स्वीकृत मिति : २०७५/०३/१०

प्रमाणीकरण मिति : २०७६/०४/०८

नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम कमलबजार नगरपालिका अछामको नगर सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको कार्यविधि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ।

“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी  
कार्यविधि-२०७५

ପ୍ରକାର	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ	ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନ

(କରକାଳ)

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କରକାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରକାଳର କରକାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ  
 ଅନୁସନ୍ଧାନ


अनुसूची-३  
कार्यविधि को दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित



ईजाजतपत्र  
ईजाजत नं..... मिति:-.....

कमलबजार नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
कमलबजार, अछाम

‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा २ को उपदफा (४) बमोजिम निर्माण व्यवसाय गर्न ..... स्थित कार्यालय भएको ..... फर्म वा कम्पनीलाई ईजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ ।



(यस वृत्तभित्र कुन वर्ग लेखनुपर्ने हो सोही वर्ग लेख्ने)

ईजाजतपत्र दिनेको:-  
दस्तखत:-  
नाम:-  
पद:-  
मिति:-  
कार्यालय:-

नवीकरण:

नवीकरण गर्ने अधिकारी	नवीकरण गरेको मिति	नवीकरण बहल रहने अवधि	नवीकरण दस्तुर भौचर नं. र मिति	नवीकरण गर्ने अधिकारीको दस्तखत



कमलबजार नगरपालिका, अछाम

:yfgLo /fhkq

खण्ड २) संख्या : ४

प्रकाशित मिति : २०७६/०४/०८

भाग २

कमलबजार नगरपालिका, अछाम

स्वीकृत मिति : २०७५/०३/१०

प्रमाणीकरण मिति : २०७६/०४/०८

“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी  
कार्यविधि-२०७५

स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रको ज्ञान र विशेषज्ञता लाई उपयोग गर्न तथा सार्वजनिक खरीदको मूलभूत विशेषताहरु लाई अक्षुण्ण राखी सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा पारदर्शिता, स्वच्छता, ईमानदारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता तथा भेदभाव रहित प्रतिस्पर्धा तथा श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग जस्ता उद्देश्यहरु हासिल गर्न सार्वजनिक निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहज पहुँचको लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कमलबजार नगरपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।



९. आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निर्माण सम्बन्धि सवारी साधन मेशिनरी औजारको विवरण:-

सि.नं.	नाम तथा विवरण	दर्ता नं.	क्षमता	मूल्य	खरिद मिति	अन्य
	ण		सख्या			व्यहोरा

दृष्टव्यः यस विवरणमा उल्लिखित सवारी साधन तथा मेशिनरी औजारहरूको स्वामित्वको कागजात (दर्ता प्रमाणपत्र) र उक्त मेशिनरी औजारहरू चालु हालतमा रहेको छ भनी मेकानिकल ईन्जिनियरद्वारा प्रमाणित भएको हुनु पर्ने छ।

१०. यस अधि सम्पन्न गरेको कामको विवरण:-

सि.नं.	निर्माण सम्बन्धि कामको प्रकृति	काम गरेको साल	रकम	ठेक्कादाता कार्यालयका नाम	कामको अवस्था (प्रगति प्रतिशतमा)

११. करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजात:-

क.  
ख.  
ग.

यस दरखास्त फारममा उल्लिखित सम्पूर्ण व्यहोरा ठीक साचो छ। भुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाउला।

दरखास्तवालाको:-

दस्तखत:-

मिति:-

दृष्टव्यः यस दरखास्त फारम साथ दरखास्त फारममा उल्लेख भएको व्यहोरा पुष्टि गर्न सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले माग गरेको बखत सककल कागजात पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको प्रत्येक निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाइ तिर्नुपर्ने कर तिरी सकेको प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित संघीय/प्रदेश/स्थानीय कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा फर्म वा कम्पनीको दर्ता नवीकरण सहित सम्बन्धित नगरपालिकाबाट अनुसूची-२ बमोजिमको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनु पर्नेछ। इजाजत पत्र नवीकरण गर्न नगरपालिकामा कागजात पेश गर्दा अनुसूची-४ बमोजिमको पास बुक भरी अधिल्लो आर्थिक वर्षको सो फर्म वा कम्पनीले आफुले गरेको कार्यहरूको अद्यावधिक विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने छ। यसरी अनुसूची-४ बमोजिमको पास बुक विवरण अद्यावधिक नगर्ने फर्म वा कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण गर्न नगरपालिका बाध्य हुनेछैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र सबै प्रकृया पुरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने निर्माण व्यवसायीले नवीकरण गर्ने माग गरेमा अनुसूची-२ बमोजिमको थप दस्तुर लिइ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले इजाजतपत्र नवीकरण गरीदिनेछ।

(४) इजाजतपत्रको खारेजी:

(१) देहायको अवस्थामा नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ।

(क) भुट्टा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा,

(ख) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने वा गर्न पाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा संगठित संस्थामा भुट्टा विवरण पेश गरेको सम्बन्धित निकाय वाट लेखि आएमा,

(ग) सार्वजनिक निकाय संग भएको सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा सम्झौताको गम्भिर उल्लंघन भएको सम्बन्धित निकायवाट लेखि आएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज गर्नु अधि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी लाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब माफि को मौका दिइने छ।

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको म्याद भित्र नवीकरण नभएको इजाजत पत्र स्वतः खारेज हुनेछ।

<p>୩) ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।</p>	
<p>୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୧୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୧୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୧୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୧୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୧୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୨୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୨୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୨୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୨୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୨୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୨୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୨୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୨୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୨୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୨୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୩୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୩୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୩୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୩୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୩୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୩୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୩୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୩୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୩୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୩୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୪୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୪୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୪୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୪୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୪୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୪୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୪୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୪୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୪୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୪୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୫୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୫୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୫୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୫୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୫୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୫୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୫୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୫୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୫୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୫୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୬୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୬୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୬୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୬୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୬୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୬୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୬୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୬୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୬୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୬୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୭୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୭୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୭୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୭୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୭୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୭୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୭୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୭୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୭୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୭୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୮୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୮୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୮୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୮୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୮୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୮୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୮୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୮୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୮୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୮୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୯୦) ନିୟମ :-</p>
<p>୯୧) ନିୟମ :-</p>	<p>୯୨) ନିୟମ :-</p>
<p>୯୩) ନିୟମ :-</p>	<p>୯୪) ନିୟମ :-</p>
<p>୯୫) ନିୟମ :-</p>	<p>୯୬) ନିୟମ :-</p>
<p>୯୭) ନିୟମ :-</p>	<p>୯୮) ନିୟମ :-</p>
<p>୯୯) ନିୟମ :-</p>	<p>୧୦୦) ନିୟମ :-</p>

୧) ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

୨) ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

୩) ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

୪) ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।